

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी - श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - जी०सी०एम०एस० नम्बर तारीख दायर तारीख फैसला
255/2024/प्रार्थना पत्र 2024/374 04.07.2024 06.08.2025

अगवान

- 1- कैलाश पुत्र प्रताप धाकड़ निवासी शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- सु. चन्तादेवी पत्नी छगनलाल धाकड़ शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- सु. प्रेमदेवी पत्नी कालूलाल धाकड़ शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- महावीर पुत्र काना धाकड़ शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मिश्री पुत्र प्रताप धाकड़ शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- रामेश्वर पुत्र नन्दा धाकड़ शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

:: बनाम ::

- 1- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति - श्री अक्षयराज रेबारी -अभिभाषक प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार -राज्य पक्ष

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 24.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा स्थित खाता संख्या 92 खसरान किता 07 कुल रकबा 5.89 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में से आराजियात 1945 में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण आराजी पर पहुंचने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए मुख्य सड़क से ग्राम मुंहला जाने वाले रास्ते आराजी नम्बर 1940 गै.मु. रास्ता से होते हुए उक्त रास्ते से बदिशा पूर्व की ओर मुड़ते हुए बिलानाम आराजी नम्बर 1943/2183, 1944 की दक्षिणी मेर से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी 1945 के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर पहुंचकर अपनी आराजी को वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगणों को यही एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगणों के पास अपनी आराजी को काश्त करने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से राजस्व कर्मचारी आये दिन रास्ते बाबत विवाद करते हैं। जिससे प्रार्थीगण द्वारा 20 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में पहुंच हेतु विपक्षी के स्वामित्व की आराजी संख्या 1943/2183, 1944 भूमि में से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी के विरुद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू०अ०निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। चाहा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। मांगा गया रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। एवं चाहा गया प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा (राज.)

तहसीलदार द्वारा ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1943/2183 रकबा 0.17 है0 में से 0.0318 हैक्टेयर(53 मीटर गुणा 6 मीटर) एवं आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.33 है0 में से 0.0186 है0(31 मीटर गुणा 6 मीटर) कुल किता 2 रकबा 0.504 हैक्टेयर(504 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-

प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई रथाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।
2. प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की आराजी 1945 पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। अतः ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 1943/2183 रकबा 0.17 है0 में से 0.0318 हैक्टेयर(53 मीटर गुणा 6 मीटर/318 वर्ग मीटर) एवं आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.33 है0 में से 0.0186 है0(31 मीटर गुणा 6 मीटर/186 वर्गमीटर) कुल किता 2 रकबा 0.504 हैक्टेयर(504 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम शिवपुरी पटवार हल्का शिवपुरी भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षी की खातेदारी भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 1943/2183 रकबा 0.17 है0 में से नवीन रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 0.0318 हैक्टेयर(53 मीटर गुणा 6 मीटर/318 वर्ग मीटर) एवं आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.33 है0 में से नवीन रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 0.0186 है0(31 मीटर गुणा 6 मीटर/186 वर्गमीटर) इस प्रकार नवीन रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि कुल किता 2 रकबा 0.504 हैक्टेयर(504 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थी के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त मुताबिक प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शों में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि : तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

(सुनील कुमार शीमा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा